भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं . 666
मंगलवार, 6 फरवरी, 2024/17 माघ, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

जन औषधि केंद्र का संचालन

†666. डॉ. पोन गौतम सिगामणिः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों को संचालित करने की अनुमति दी गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 34 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की 4,400 से अधिक पीएसीएस/सहकारी समितियों ने इस पहल हेतु पोर्टल पर अपने ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या 2300 से अधिक सहकारी समितियों को पहले ही प्रारंभिक अनुमोदन प्राप्त हो चुका है और उनमें से 1491 जन औषधि केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सरकार द्वारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग की प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत पैक्स द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) के संचालन हेतु अनुमति दी गई है। इस पहल के तहत, पैक्स अब पीएमबीजेके खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीएमबीजेके के रूप में काम करते हुए पैक्स ग्रामीण नागरिकों को सस्ती कीमतों पर जेनेरिक दवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे, जिनकी कीमत खुले बाजार में ब्रांडेड दवाओं की कीमतों की तुलना में 50% -90% कम हैं।

पीएम जन औषधि केंद्र खोलने के लिए अब तक, 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 4,629 पैक्स/ सहकारी समितियों द्वारा भारत सरकार के औषध विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया है, जिसमें से 2,475 पैक्स को फार्मास्युटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ़ इंडिया, औषध विभाग (भारत सरकार) द्वारा प्रारंभिक स्वीकृति दे दी गई है। 2,475 प्रारंभिक स्वीकृति प्राप्त पैक्स/सहकारी समितियों में से, 617 को राज्य औषधि नियंत्रकों द्वारा ड्रग लाइसेंस प्रदान किए जा चुके हैं, जो अब जन औषधि केंद्रों के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं।

*****